an>

Title: Need to provide adequate compensation to those farmers of Rajasthan whose land is located on international border.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) ः राजस्थान प्रदेश भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित है और पूरे राजस्थान प्रदेश की सीमा लगभग 1060 किलोमीटर है। सुरक्षा की दृष्टि से भारत-पाक सीमा पर सरकार द्वारा कंटीली तारबंदी की गयी थी और तारबंदी व बार्डर लाइन के बीच में गरीब किसानों की कृषि योग्य भूमि आती है, जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से किसानों को वहाँ जाकर खेती करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और खेती करने के लिए भी समय-सीमा से बाध्य होना पड़ता है। उस ओर की जमीन पर सिंचाई योग्य पानी भी नहीं ले जाया जा सकता, जिस कारण सीमावर्ती किसान गरीबी और भुखमरी में जीवन-यापन करने को मजबूर है।

सीमावर्ती किसान की यह सबसे बड़ी समस्या है जिस कारण सीमावर्ती क्षेत्र का किसान अपने परिवार का भरण-पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहा है और मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम हो रहा है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों की भूमि सरकार द्वारा अवाप्त कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसान उस भूमि की जगह दूसरी भूमि लेकर स्वतंत्रापूर्वक अपनी मेहनत व लगन से खेती कर सके और अपने परिवार का भरण-पोषण उचित तरीके से कर सके।